## Hindi 印度語



# आपराधिक और कानून प्रवर्तन द्वारा लगी चोटों के प्रति क्षतिपूर्ति की योजना ऐसे व्यक्तियों (या मृत्यु के मामलों में उनके आश्रितों को) को वित्तीय सहायता प्रदूान करता है जो हिंसा के अपराध के परिणामस्वरूप

घायल हुए हैं, या कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के निष्पादन में हथियार का उपयोग करने से घायल हुए हैं।

## **Criminal and Law Enforcement Injuries Compensation Scheme**

Provides financial assistance to persons (or to their dependants in cases of death) who are injured as a result of a crime of violence, or by a law enforcement officer using a weapon in the execution of his/her duty.



## उद्देश्य

योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों (या मृत्यु के मामलों में उनके आश्रितों को) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो हिंसा के अपराध के परिणामस्वरूप घायल हुए हैं, या कानून प्रवर्तन अधिकारी (जिसका अर्थ है ड्यूटी पर मौजूद कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य सार्वजनिक अधिकारी) द्वारा अपने कर्तव्य के निष्पादन में हथियार का उपयोग करने से घायल हुए हैं। यह योजना गैर-अंशदायी और गैर-साधन परीक्षण योग्य है।

इस योजना में आपराधिक चोट मुआवजा और कानून प्रवर्तन द्वारा लगी चोटों के प्रति मुआवजा शामिल है और इसे क्रमशः आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड और कानून प्रवर्तन चोट मुआवजा बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है। दोनों बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सिविल सेवा के बाहर के मुख्य कार्यकारी द्वारा की जाती है। बोर्ड का सचिवालय (यानी समाज कल्याण विभाग (SWD) का आपराधिक और कानून प्रवर्तन चोट मुआवजा (CLEIC) अनुभाग) आवेदन प्राप्त करने, मामले की जांच करने और मामले के सारांश और आकलन तैयार करने के साथ-साथ सफल आवेदकों को पुरस्कारों के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है।

## पात्रता मापदंड

## आपराधिक चोट मुआवजा

हांगकांग में किसी भी चोट या मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा किया जा सकता है जिसका कारण:

- हिंसा का अपराध;
- किसी अपराधी या संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी या गिरफ्तारी का प्रयास;
- किसी अपराध की रोकथाम या रोकथाम का प्रयास; या
- किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को सहायता देना जो किसी अपराधी या संदिग्ध अपराधी को गिरफ्तार या गिरफ्तार करने का प्रयास करने या किसी अपराध को रोकने या रोकने का प्रयास करने में लगा हुआ/हुई है।

पीड़ित को जानबूझकर नीचा दिखाने के प्रयास के मामलों को छोड़कर यातायात अपराधों को योजना से बाहर रखा जाएगा।

आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड केवल उन आवेदनों पर विचार करेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

- पीड़ित की घटना से मृत्यु हो गई; या लगी चोट के कारण कम से कम तीन दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा या किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/पंजीकृत चीनी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित बीमार छुट्टी उपलब्ध है;
- चोट या मौत की परिस्थितियों की सूचना बिना किसी अनुचित देरी के पुलिस को दी गई थी, या यह आपराधिक कार्यवाही का विषय था;
- आवेदक को बोर्ड को सभी संबंधित जानकारी और उचित सहायता देनी चाहिए, विशेष रूप से किसी भी मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में जिसकी उसे आवश्यकता हो;
- मुआवजे का दावा घटना की तारीख से तीन साल के भीतर (नोट देखें) किया गया है;
- ऐसे पुन: आवेदन के लिए जहां मुआवजे के लिए पहला दावा घटना की तारीख से तीन साल के भीतर किया गया था, लेकिन मामला स्व-वापसी या संपर्क खो जाने के कारण बंद हो गया था, दूसरा या बाद का दावा या तो घटना की तारीख से तीन साल के भीतर किया गया है या स्व-वापसी या संपर्क खोने की तारीख के एक वर्ष के भीतर (नोट देखें) किया गया है, जो भी बाद में हो; और
- पीड़ित वह व्यक्ति है जिसके पास हांगकांग में रहने का अधिकार है या जिसे आप्रवासन अध्यादेश, कैप 115 के तहत हांगकांग में रहने की अनुमित दी गई है, जो घटना के समय उसके विरुद्ध लागू रहने की सीमा (यदि कोई हो) का उल्लंघन नहीं कर रहा/रही हो।

जहां घटना के समय पीड़ित और अपराधी एक ही परिवार के सदस्य के रूप में एक साथ रह रहे थे, वहां मुआवजा केवल कुछ शर्तों के तहत ही देय होगा।

(नोट: तीन साल या एक साल की अवधि की गणना में, वह दिन जिस दिन घटना घटती है या स्व-वापसी या संपर्क खो जाने का दिन शामिल नहीं है। यदि अवधि का अंतिम दिन शनिवार है, सार्वजनिक अवकाश है या वह दिन है जिसके दौरान तूफान चेतावनी संकेत संख्या 8 या उससे ऊपर या ब्लैक रेनस्टॉर्म चेतावनी संकेत जारी किया जाता है, इस अवधि में अगला सामान्य कार्य दिवस शामिल होगा।)

## कानून प्रवर्तन चोट मुआवजा

हांगकांग में कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के निष्पादन में हथियार के उपयोग के परिणामस्वरूप हुई किसी भी चोट या मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा किया जा सकता है, जिसमें:

- किसी अपराधी या संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी या गिरफ्तारी का प्रयास;
- किसी अपराध की रोकथाम या रोकथाम का प्रयास; या
- किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को सहायता देना जो किसी अपराधी या संदिग्ध अपराधी को गिरफ्तार करने या गिरफ्तार करने का प्रयास करने या किसी अपराध को रोकने या रोकने का प्रयास करने में लगा हुआ/हुई है।

कानून प्रवर्तन चोट मुआवजा बोर्ड केवल उन आवेदनों पर विचार करेगा जो निम्नलिखित शर्तीं को पूरा करते हैं:

- पीड़ित की घटना से मृत्यु हो गई; या लगी चोट के कारण कम से कम तीन दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा या किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/पंजीकृत चीनी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित बीमार छुट्टी उपलब्ध है;
- चोट या मृत्यु की परिस्थितियों की सूचना बिना किसी अनुचित देरी के पुलिस को दी गई;
- आवेदक को बोर्ड को सभी संबंधित जानकारी और उचित सहायता देनी चाहिए, विशेष रूप से किसी भी मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में जिसकी उसे आवश्यकता हो;
- मुआवजे का दावा घटना की तारीख से तीन साल के भीतर (नोट देखें) किया गया है;
- ऐसे पुन: आवेदन के लिए जहां मुआवज़े के लिए पहला दावा घटना की तारीख से तीन साल के भीतर किया गया था, लेकिन मामला स्व-वापसी या संपर्क खो जाने के कारण बंद हो गया था, दूसरा या बाद का दावा या तो घटना की तारीख से तीन साल के भीतर किया गया है या स्व-वापसी या संपर्क खोने की तारीख के एक वर्ष के भीतर (नोट देखें) किया गया है, जो भी बाद में हो;
- पीड़ित वह व्यक्ति है जिसके पास हांगकांग में रहने का अधिकार है या जिसे आप्रवासन अध्यादेश, कैप 115 के तहत हांगकांग में रहने की अनुमित दी गई है, जो घटना के समय उसके विरुद्ध लागू रहने की सीमा (यदि कोई हो) का उल्लंघन नहीं कर रहा/रही हो; और
- यदि कर्तव्य के निष्पादन में कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा हिथयार के उपयोग के परिणामस्वरूप पीड़ित की मौत हो जाती है, तो आवेदक को घातक दुर्घटना अध्यादेश, कैप 22 की परिभाषा के तहत आश्रित माना जाता है (यदि वह इस परिभाषा के अंतर्गत आश्रित नहीं है, तो उसके आवेदन पर आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।)

(नोट: तीन साल या एक साल की अविध की गणना में, वह दिन जिस दिन घटना घटती है या स्व-वापसी या संपर्क खो जाने का दिन शामिल नहीं है। यदि अविध का अंतिम दिन शनिवार है, सार्वजिनक अवकाश है या वह दिन है जिसके दौरान तूफान चेतावनी संकेत संख्या 8 या उससे ऊपर या ब्लैक रेनस्टॉर्म चेतावनी संकेत जारी किया जाता है, इस अविध में अगला सामान्य कार्य दिवस शामिल होगा।)

## आवेदन प्रक्रिया

आवेदन पत्र पुलिस स्टेशनों, गृह मामलों के विभाग के जिला कार्यालयों, या चिकित्सा सामाजिक सेवा इकाइयों, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र इकाइयों और SWD के CLEIC अनुभाग में उपलब्ध हैं। भरे हुए फॉर्म CLEIC अनुभाग को पोस्ट या सौंपे जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, उन्हें फैक्स या ईमेल द्वारा उस अनुभाग में भेजा जा सकता है। आवेदक ऑनलाइन फॉर्म द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं।

#### CLEIC अनुभाग

पता : Room 703, 7/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East,

Wan Chai, Hong Kong.

फैक्स नं. : 2575 7938

ईमेल पता : cleicenq@swd.gov.hk

आवेदन पत्र SWD के होमपेज से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं

http://www.swd.gov.hk

## किसी आवेदन पर कैसे कार्रवाई की जाती है

जहां पीड़ित या आवेदक द्वारा बताई गई आपराधिक घटना की पुलिस द्वारा पुष्टि की गई है, वहां आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कि उपयुक्त बोर्ड किसी आवेदन पर विचार करे, बोर्ड का सिचवालय बोर्ड के विचार के लिए मामले के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी मांगेगा, जिसमें घटना के तथ्य और पीड़ित की चिकित्सा और सामाजिक जानकारी शामिल है। सिचवालय आवेदक को बोर्ड के निर्णय के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।

## बोर्डों की विवेकाधीन शक्ति

बोर्ड उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तय करेगा कि किसी आवेदन को स्वीकार किया जाए या नहीं। साथ ही, उनके पास मामले की परिस्थितियों के आधार पर मुआवजे की राशि को बढ़ाने या घटाने या आवेदन को अस्वीकार करने का विवेक भी है।

## योजना के बाहर प्राप्त हुआ मुआवजा

"नो-डबल-मुआवजा" सिद्धांत के तहत, जहां एक आवेदक/पीड़ित को उसी घटना के संबंध में क्षिति या अन्य मुआवजा (कर्मचारी मुआवजे सिहत) प्राप्त हुआ है, योजना के तहत देय मुआवजे में ऐसी क्षिति/मुआवजे के बराबर राशि कम कर दी जाएगी। यदि ऐसी क्षिति/मुआवजा की राशि योजना के तहत देय मूल्यांकन पुरस्कार के बराबर या उससे अधिक है तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, लाभार्थी जो बाद में उसी घटना के संबंध में योजना के बाहर क्षिति या अन्य मुआवजा प्राप्त करते हैं, उन्हें योजना से प्राप्त भुगतान वापस करने की आवश्यकता होगी, लेकिन, किसी भी मामले में, वापस की जाने वाली राशि योजना के बाहर प्राप्त क्षिति या मुआवजे की राशि से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, "नागरिक सोच वाले" पीड़ितों को दिए गए किसी भी बढ़े हुए पुरस्कार को वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी।

## **Objective**

The aim of the Scheme is to provide financial assistance to persons (or to their dependants in cases of death) who are injured as a result of a crime of violence, or by a law enforcement officer (which means any police officer or other public officer on duty) using a weapon in the execution of his/her duty. The Scheme is non-contributory and non-means tested.

The Scheme comprises criminal injuries compensation and law enforcement injuries compensation and is administered by the Criminal Injuries Compensation Board and the Law Enforcement Injuries Compensation Board respectively. The Chairperson and members of the two Boards are appointed by the Chief Executive from outside the civil service. The Secretariat to the Boards (i.e. the Criminal and Law Enforcement Injuries Compensation (CLEIC) Section of Social Welfare Department (SWD)) is responsible for receiving applications, conducting case investigations, and preparing case summaries and assessments, as well as arranging payment of awards to successful applicants.

## **Eligibility Criteria**

#### **Criminal Injuries Compensation**

Compensation may be claimed for any injury or death sustained in Hong Kong arising from:

- · a crime of violence;
- an arrest or attempted arrest of an offender or suspected offender;
- the prevention or attempted prevention of an offence; or
- the giving of help to any police officer or other person who is engaged in arresting or attempting to arrest an offender or suspected offender or preventing or attempting to prevent an offence.

Traffic offences will be excluded from the Scheme except in cases of a deliberate attempt to run the victim down.

The Criminal Injuries Compensation Board will only consider applications which satisfy the following conditions:

- the victim died from the incident; or the injury inflicted gave rise to at least three days' hospitalisation or sick leave as certified by a registered medical practitioner/registered Chinese medicine practitioner;
- the circumstances of the injury or death were reported to the police without unreasonable delay, or had been the subject of criminal proceedings;
- the applicant should have given the Board all related information and reasonable assistance, particularly in relation to any medical reports which it may require;
- the claim for compensation has been made within three years (see note) of the date of the incident;
- for a re-application where the first claim for compensation had been made within three years of the date of the incident but the case was closed due to self-withdrawal or lost contact, the second or subsequent claim has been made either within three years of the date of the incident or within one year (see note) of the date of self-withdrawal or lost contact, whichever is later; and

 the victim is a person having the right to remain in Hong Kong or being permitted to remain in Hong Kong under the Immigration Ordinance, Cap 115, who is not in contravention of a limit of stay (if any) in force against him/her at the time of the incident.

Where the victim and the offender were living together at the time of incident as members of the same family, compensation will be only payable under certain conditions.

(Note: In reckoning the three-year or the one-year period, the day on which the incident happens or the day of self-withdrawal or lost contact is excluded. If the last day of the period is a Saturday, a public holiday or a day during which typhoon warning signal no.8 or above or Black Rainstorm Warning Signal is issued, the period shall include the next normal working day.)

#### Law Enforcement Injuries Compensation

Compensation may be claimed for any injury or death sustained in Hong Kong resulting from the use of a weapon by a law enforcement officer in the execution of his/her duty in connection with:

- an arrest or attempted arrest of an offender or suspected offender;
- · the prevention or attempted prevention of an offence; or
- the giving of help to any police officer or other person who is engaged in arresting or attempting to arrest an offender or suspected offender or preventing or attempting to prevent an offence.

The Law Enforcement Injuries Compensation Board will only consider applications which satisfy the following conditions:

- the victim died from the incident; or the injury inflicted gave rise to at least three days' hospitalisation or sick leave as certified by a registered medical practitioner/registered Chinese medicine practitioner;
- the circumstances of the injury or death were reported to the police without unreasonable delay;
- the applicant should have given the Board all related information and reasonable assistance, particularly in relation to any medical reports which it may require;
- the claim for compensation has been made within three years (see note) of the date of the incident;
- for a re-application where the first claim for compensation had been made within three years of the date of incident but the case was closed due to self-withdrawal or lost contact, the second or subsequent claim has been made either within three years of the date of the incident or within one year (see note) of the date of self-withdrawal or lost contact, whichever is later;
- the victim is a person having the right to remain in Hong Kong or being permitted to remain in Hong Kong under the Immigration Ordinance, Cap 115, who is not in contravention of a limit of stay (if any) in force against him/her at the time of the incident; and
- if the victim is killed as a result of the use of a weapon by a law enforcement officer in the execution of duty, the applicant is regarded as a dependant within the definition of the Fatal Accidents Ordinance, Cap 22 (If he/she is not a dependant within this definition, his/her application will be considered by the Criminal Injuries Compensation Board.)

(Note: In reckoning the three-year or the one-year period, the day on which the incident happens or the day of self-withdrawal or lost contact is excluded. If the last day of the period is a Saturday, a public holiday or a day during which typhoon warning signal no.8 or above or Black Rainstorm Warning Signal is issued, the period shall include the next normal working day.)

## **Application Procedures**

Application forms are available at the police stations, District Offices of the Home Affairs Department, or Medical Social Services Units, Social Security Field Units, and the CLEIC Section of SWD. Completed forms can be posted or handed to the CLEIC Section. Alternatively, they can be sent to that Section by fax or email. Applicants can also make an application by online form.

#### **CLEIC Section**

Address : Room 703, 7/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East,

Wan Chai, Hong Kong.

Fax no. : 2575 7938

Email address: cleicenq@swd.gov.hk

Application forms can also be downloaded from the homepage of SWD at

http://www.swd.gov.hk

#### How an Application is Processed

Where the criminal incident as stated by the victim or applicant has been confirmed by the police, the application will be processed. Before the appropriate Board considers an application, the Board's Secretariat will seek all relevant information about the case, including the facts of the incident and medical and social information on the victim for the consideration of the Board. The Secretariat will inform the applicant in writing of the Board's decision.

#### **Discretionary Power of the Boards**

The Boards will decide whether to accept an application on the basis of the evidence available. Also, they have the discretion to increase or reduce the amount of compensation, or to reject the application, depending on the circumstances of the case.

#### **Compensation Received outside the Scheme**

Under the "no-double-compensation" principle, where an applicant/victim has received damages or other compensation (including Employees' Compensation) in respect of the same incident, the compensation payable under the Scheme will be reduced by an amount equivalent to such damages/compensation. No payment will be made if the amount of such damages/compensation is equal to or exceeds the assessed award payable under the Scheme. In addition, beneficiaries who subsequently receive damages or other compensation outside the Scheme in respect of the same incident will be required to refund the payments they have received from the Scheme, but, in any case, the amount to be repaid shall not exceed the amount of damages or compensation received outside the Scheme. Any increased award granted to "civic-minded" victims will not, however, be required to be repaid.